संख्या- 31/2021/871/33-3-2021-33/2020 टी.सी.

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज,

उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2021**

विषय- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2021-22 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की प्रथम किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-F.-15(4) F.C.-XV-FCD/2020-25 दिनांक 08.05.2021, आपके पत्र संख्या-8/42/2021-8/142/2019-20 दिनांक 12.05.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रथम किश्त की बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की अवमुक्त कुल धनराशि रू. 1441.60 करोड़ (रू. चौदह सौ इकतालीस करोड़ साठ लाख मात्र) में से क्रमशः जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को संलग्न फाण्ट के अनुसार निम्नवत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-30/2020/1594/33-3-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) पंचायतीराज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(6) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(9) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) पंचायती राज संस्थाओं हेतु भारत सरकार से आवंटित प्रथम किश्त की बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की कुल धनराशि रू. 1441.60 करोड़ निम्नवत व्यवस्थानुसार अवमुक्त की जायेगी:-

क्र0सं0	**पंचायतीराज संस्थाएं (अनुपात)**	**धनराशि (रू. में)**
1	जिला पंचायत (15 प्रतिशत)	**2,16,24,00,000/-**
2	क्षेत्र पंचायत (15 प्रतिशत)	**2,16,24,00,000/-**
3	ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत)	**10,09,12,00,000/-**
कुल योग		**14,41,60,00,000/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2021-22 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-15वें वित्त आयोग- 0301-सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- समस्त मण्डलायुक्त।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।
8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
10- संबंधित बैंकों को।
11- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
13- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
14- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
15- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
16- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 31/2021/871/33-3-2021-33/2020 दिनांक 13 मई, 2021 का संलग्नक

(धनराशि रू. में)

क्र0 सं0	जनपद	जिला पंचायत	क्षेत्र पंचायत	ग्राम पंचायत	कुल योग (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	35942831	35942831	167733211	239618873
2	अलीगढ़	32969263	32969263	153856563	219795089
3	अम्बेडकरनगर	28428115	28428115	132664539	189520769
4	अमेठी	25729087	25729087	120069071	171527245
5	अमरोहा	19453885	19453885	90784794	129692564
6	औरैया	16665658	16665658	77773069	111104385
7	अयोध्या	28153067	28153067	131380977	187687111
8	आजमगढ़	58109480	58109480	271177575	387396535
9	बागपत	14072741	14072741	65672791	93818273
10	बहराइच	44617851	44617851	208216638	297452340
11	बलिया	39581669	39581669	184714454	263877792
12	बलरामपुर	28342638	28342638	132265644	188950920
13	बांदा	23129262	23129262	107936558	154195082
14	बाराबंकी	40470090	40470090	188860419	269800599
15	बरेली	41983191	41983191	195921557	279887939
16	बस्ती	30013371	30013371	140062397	200089139
17	भदोही	17818193	17818193	83151567	118787953

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	बिजनौर	39530590	39530590	184476086	263537266
19	बदांयू	36090501	36090501	168422338	240603340
20	बुलन्दशहर	36971330	36971330	172532872	246475532
21	चन्दौली	24366843	24366843	113711934	162445620
22	चित्रकूट	13846265	13846265	64615904	92308434
23	देवरिया	37631006	37631006	175611360	250873372
24	एटा	21673674	21673674	101143811	144491159
25	इटावा	17614963	17614963	82203160	117433086
26	फर्रूखाबाद	20689477	20689477	96550891	137929845
27	फतेहपुर	32913777	32913777	153597624	219425178
28	फिरोजाबाद	23214010	23214010	108332046	154760066
29	गौतमबुद्धनगर	4697766	4697766	21922910	31318442
30	गाजियाबाद	9689684	9689684	45218527	64597895
31	गाजीपुर	46105151	46105151	215157373	307367675
32	गोण्डा	45491336	45491336	212292901	303275573
33	गोरखपुर	46692032	46692032	217896152	311280216
34	हमीरपुर	14770107	14770107	68927165	98467379
35	हापुड़	13057126	13057126	60933256	87047508
36	हरदोई	51978078	51978078	242564364	346520520
37	हाथरस	16983001	16983001	79254004	113220006
38	जालौन	17039594	17039594	79518107	113597295

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

39	जौनपुर	55675177	55675177	259817493	371167847
40	झांसी	19802990	19802990	92413952	132019932
41	कन्नौज	19437847	19437847	90709954	129585648
42	कानपुर देहात	22514876	22514876	105069419	150099171
43	कानपुर नगर	22778503	22778503	106299678	151856684
44	कासगंज	16575096	16575096	77350449	110500641
45	कौशाम्बी	18419860	18419860	85959346	122799066
46	खीरी	52085459	52085459	243065477	347236395
47	कुशीनगर	41489978	41489978	193619899	276599855
48	ललितपुर	18039915	18039915	84186272	120266102
49	लखनउ	18026862	18026862	84125356	120179080
50	महराजगंज	32559170	32559170	151942795	217061135
51	महोबा	12029932	12029932	56139682	80199546
52	मैनपुरी	22118116	22118116	103217875	147454107
53	मथुरा	24010802	24010802	112050410	160072014
54	मउ	22416346	22416346	104609617	149442309
55	मेरठ	23311966	23311966	108789175	155413107
56	मिर्जापुर	31954491	31954491	149120959	213029941
57	मुरादाबाद	26508224	26508224	123705046	176721494
58	मुजफफरनगर	30394623	30394623	141841573	202630819
59	पीलीभीत	24895565	24895565	116179301	165970431

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

60	प्रतापगढ़	40106675	40106675	187164485	267377835
61	प्रयागराज	58877825	58877825	274763184	392518834
62	रायबरेली	36133913	36133913	168624926	240892752
63	रामपुर	24089108	24089108	112415839	160594055
64	सहारनपुर	33882485	33882485	158118263	225883233
65	सम्भल	24563305	24563305	114628759	163755369
66	संतकबीर नगर	20816552	20816552	97143908	138777012
67	शाहजहांपुर	33902976	33902976	158213888	226019840
68	शामली	13108854	13108854	61174652	87392360
69	श्रावस्ती	15182752	15182752	70852841	101218345
70	सिद्धार्थनगर	31389150	31389150	146482698	209260998
71	सीतापुर	56177928	56177928	262163662	374519518
72	सोनभद्र	26540348	26540348	123854957	176935653
73	सुल्तानपुर	31663518	31663518	147763086	211090122
74	उन्नाव	37211316	37211316	173652811	248075443
75	वाराणसी	27180794	27180794	126843704	181205292
	कुल योग	**2162400000**	**2162400000**	**10091200000**	**14416000000**

रू. 1441.60 करोड़ (रू. चौदह सौ इकतालीस करोड़ साठ लाख मात्र)

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।